

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2018

विषय:- 2X660 मे०वा० ओबरा 'सी' तापीय परियोजना की ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण तंत्र एवं 400 के०वी० जी०आई०एस० उपकेन्द्र, बदायूँ (सम्बन्धित लाइनों सहित) का टी०बी०सी०बी० पद्धति से निर्माण कराने हेतु विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-68 के अधीन अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-7879/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ओबरा-सी/सेक्सन-68/टी०बी०सी०बी०, दिनांक 03.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त ओबरा 'सी' तापीय परियोजना की ऊर्जा निकासी एवं 400 के०वी० जी०आई०एस० उपकेन्द्र, बदायूँ से सम्बन्धित लाइनों के लिए ओवर हेड पारेषण लाइनों के निर्माण कराने हेतु विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-68 की उपधारा-1 के अधीन निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु ओबरा-सी बदायूँ ट्रान्समिशन लिमिटेड को अधिकृत किया जाता है:-

क्रम सं०	पारेषण कार्यों का विवरण
लॉट-1	
1.	765 के०वी० आनपरा 'डी'-उन्नाव एस०सी० लाइन का ओबरा 'सी' टी०पी०एस० पर लीलो
2.	(2X3152X160) एम०वी०ए०, 400/220/132 के०वी० जी०आई०एस० उपकेन्द्र बदायूँ। 400 के०वी० : - आई०सी०टी० - 2X315एमवीए - आई०सी०टी० 'बे' - 02 नग - लाइन 'बे' - 04 नग, 02 नग (13वें प्लान हेतु) - स्पेयर लाइन 'बे' - 02 नग - स्पेयर आई०सी०टी० 'बे' - 01 नग 220 के०वी० - आई०सी०टी० - 2X160 एमवीए - आई०सी०टी० 'बे' - 04 नग - लाइन 'बे' - 06 नग - स्पेयर लाइन 'बे' - 02 नग - स्पेयर आई०सी०टी० 'बे' - 02 नग 132 के०वी० - आई०सी०टी० 'बे' - 02 नग



	- लाइन 'बे' - 04 नग - स्पेयर लाइन 'बे' - 04 नग - स्पेयर आई0सी0टी0 'बे' - 01 नग
3.	400 के0वी0 डी0सी0 रोजा-बदायूँ लाइन
4.	220 के0वी0 सी0बी0 गंज (220 के0वी0)-बदायूँ (220 के0वी0) एस0सी0 लाइन का 400 के0वी0 उपकेन्द्र बदायूँ पर लीलो
5.	220 के0वी0 चन्दौसी (220 के0वी0)- बदायूँ (220 के0वी0) एस0सी0 लाइन का 400 के0वी0 उपकेन्द्र बदायूँ पर लीलो
6.	132 के0वी0 बदायूँ, उझानी-बदायूँ (400 के0वी0) एस0सी0 लाइन एवं 132 के0वी0 विलसी-बदायूँ (400 के0वी0) एस0सी0 लाइन नोट :उपरोक्त दोनों एस0सी0 लाइनें 30 कि0मी0 तक संयुक्त रूप से डी0सी0 लाइन के रूप में निर्मित होंगी तत्पश्चात लाइन अलग-अलग उझानी तथा विलसी प्रत्येक 10 कि0मी0 की एस0सी0 लाइन होगी।
7.	2 अदद 132 के0वी0 'बे' का निर्माण (एक 'बे' 132 के0वी0 उपकेन्द्र उझानी तथा एक 'बे' 132 के0वी0 उपकेन्द्र विलसी पर)
8.	13वें प्लान हेतु 400 के0वी0 उपकेन्द्र बदायूँ पर 2 अदद 400 के0वी0 'बे' का निर्माण (क्रम सं0 2 में सम्मिलित)।
लॉट-2	
1	400 के0वी0 डी0सी0 जौनपुर-ओबरा (ओबरा 'बी'-ओबरा 'सी' लाइन के लीलो बिन्दु तक निर्माण)

- 3- उपरोक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा:-
- (1) विद्युत अधिनियम 2003 जैसा कि समय समय पर संशोधित किया गया, के नियमों एवं विनियमों के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (2) ओबर हेड लाइनों के सम्बंध में भारतीय विद्युत नियमावली 1956, जब तक कि वह विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बताये गये नियमों से प्रतिस्थापित न कर दी जाय, के द्वारा अधिष्ठापित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
 - (3) ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा टी0एस0पी0 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा और परियोजना का निर्माण कार्य परियोजना हेतु निर्धारित समयावधि तक पूर्ण किया जाय।
 - (4) शासन द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने से पूर्व एक माह की नोटिस देकर उपरोक्त अनुमोदन/अनुमति वापस लिया जा सकता है।
- 4- कृपया प्रकरण में तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(Signature)

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

